**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>16/7/2024</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने दिनांकः 10.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 37 करोड़ रुपये के अपराध की आय (पीओसी) के शोधन से संबंधित एक मामले में बुधादित्य चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। उसने कथित तौर पर पीड़ितों से वादा करके कि वह उन्हें पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग का टेंडर आवंटित करवाएगा उसने पीओसी अर्जित की थी और उनसे अपनी प्रोपराइटरशिप कंपनी मेसर्स एसीडब्ल्यूबीएचएफडब्ल्यूएस के नाम पर बयाना राशि जमा करने के लिए कहा था, जिसका नाम जानबूझकर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के लेखा नियंत्रक यानी एसीडब्ल्यूबीएचएफडब्ल्यूएस के संक्षिप्त नाम के समान रखा गया था। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होने उसे 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने बुधादित्य चट्टोपाध्याय और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा बिधाननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से 26.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

जाँच के दौरान, यह पता चला कि बुधादित्य चट्टोपाध्याय ने पीओसी प्राप्त किया है और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न व्यक्तियों को डायवर्ट किया है। इससे पहले इस मामले में 16.02.2023 को तलाशी के दौरान बुधादित्य चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों/परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में जमा 1.98 करोड़ रुपये की राशि भी फ्रीज कर दी गई थी और उनके आवास से 8.05 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे। बुधादित्य चट्टोपाध्याय को पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांकः 10.07.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।